



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072024-255696
CG-DL-E-24072024-255696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 406]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2024/ श्रावण 1, 1946

No. 406]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2024/ SHRAVANA 1, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 445 (अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2024 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची II में, -

(क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित -भाग क में, प्रथम कॉलम में आने वाली "राजस्थान" प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों से निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"राजस्थान"

सरकार के मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17
अध्यक्ष, राजस्व मंडल	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17

अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपीलिय ट्रिब्यूनल	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17
अपर मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, एचसीएम आरआईपीए	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17
अपर मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17
कृषि उत्पादन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17
सरकार के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15
अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15
निदेशक, एचसीएम आरआईपीए	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15
प्रधान स्थानिक आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15
सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
संभागीय आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
आयुक्त, विभागीय जांच	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
सदस्य, राजस्व मंडल	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
परिवहन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
आयुक्त, श्रम	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
आयुक्त, कृषि	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
आयुक्त, आबकारी और पदेन मद्य निषेध आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
आयुक्त, उद्योग	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
महानिरीक्षक, पंजीकरण एवं टिकट	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
आयुक्त, पर्यटन	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
आयुक्त, कौशल, रोजगार और उद्यमिता	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14
राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14”

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में राजस्थान के अधीन आने वाली प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

“सरकार के विशेष सचिव
सरकार के संयुक्त सचिव
निपटान आयुक्त एवं पदेन निदेशक, समेकन
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
निदेशक, वाटरशेड विकास और मिट्टी संरक्षण
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
निदेशक, महिला सशक्तिकरण विभाग
निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर
निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क

निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग
निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग
मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
आयुक्त, मध्यान भोजन
आयुक्त, रोजगार गारंटी स्कीम
निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
आयुक्त, उपनिवेशन
अपर आयुक्त, (निवेश और अप्रवासी भारतीय), निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो
निदेशक, समेकित बाल विकास स्कीम, जयपुर
निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग
निदेशक, जनजातीय मामले
अपर मुख्य चुनाव अधिकारी
निदेशक, कॉलेज शिक्षा
निदेशक, अशक्तता, जयपुर
निदेशक, बागवानी विभाग
आयुक्त, स्थानीय स्वयं सरकार विभाग"
अपर निदेशक, एचसीएमआरआईपीए
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा और पदेन निदेशक राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी (आरएजेएमईएस)
निदेशक और सरकार के पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर
रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड
सरकार के संयुक्त सचिव और पदेन निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
आयुक्त, देवस्थान विभाग
मुख्यमंत्री के विशेष सचिव
निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान
आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर
अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन"

[फ़ा. सं. 11031/02/2021-अ.भा.से.-II (ख)]

भूपिंदर पाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी:—प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि.सं. 870(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या तथा तारीख को संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक	क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	1062 अ	10.11.2016	15.	51अ	28.01.2021
2.	1178 अ	27.12.2016	16.	108अ	09.02.2021
3.	1194 अ	30.12.2016	17.	465अ	01.07.2021
4.	575 अ	12.06.2017	18.	928अ	31.12.2021
5.	1382 अ	10.11.2017	19.	182अ	09.03.2022
6.	1429 अ	17.11.2017	20.	441(अ)	10.06.2022
7.	1585 अ	22.12.2017	21.	619(अ)	05.08.2022
8.	566 अ	15.06.2018	22.	712(अ)	20.09.2022
9.	819 अ	28.08.2018	23.	758(अ)	30.09.2022
10.	1124 अ	16.11.2018	24.	930(अ)	30.12.2022
11.	1222 अ	19.12.2018	25.	98(अ)	14.02.2023
12.	218 अ	13.03.2019	26.	879(अ)	06.12.2023
13.	766 अ	09.10.2019	27.	368(अ)	04.07.2024
14.	813अ	30.12.2020			

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2024

G.S.R. 445 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Rajasthan** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—

(a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “**Rajasthan**” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“Rajasthan

Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
Chairman, Board of Revenue	Level 17 in the pay matrix

Chairman, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary & Ex-officio Director General, HCM, RIPA	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary	Level 17 in the pay matrix
Agriculture Production Commissioner	Level 17 in the pay matrix
Principal Secretary to Government	Level 15 in the pay matrix
Chairman, Rajasthan Tax Board	Level 15 in the pay matrix
Director, HCM RIPA	Level 15 in the pay matrix
Principal Resident Commissioner	Level 15 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Divisional Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Departmental Enquiries	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Commercial Taxes	Level 14 in the pay matrix
Member, Board of Revenue	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Transport	Level 14 in the pay matrix
Registrar, Co-operative Societies	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Labour	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Agriculture	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Excise and ex-officio Prohibition Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Industries	Level 14 in the pay matrix
Inspector General, Registration & Stamps	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Tourism	Level 14 in the pay matrix
Member, Rajasthan Tax Board	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Rural Development & Panchayati Raj	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Skill, Employment and Entrepreneurship	Level 14 in the pay matrix
State Project Director, Samgra Shiksha Abhiyan, Jaipur	Level 14 in the pay matrix”

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Rajasthan the following shall be substituted,—

“Special Secretary to Government
Joint Secretary to Government
Settlement Commissioner & Ex-officio Director of Consolidation
Collector and District Magistrate
Director, Watershed Development & Soil Conservation
Director, Secondary Education, Bikaner
Director, Women Empowerment Department
Director, State Insurance and Provident Fund
Chief Executive Officer, Zila Parishad
Addl. Commissioner, Commercial Taxes
Director, Information and Public Relations

<i>DIRECTOR, INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATION DEPARTMENT</i>
<i>SECRETARY, RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION</i>
<i>DIRECTOR, SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT</i>
<i>DIRECTOR, MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT</i>
<i>MISSION DIRECTOR, NATIONAL HEALTH MISSION</i>
<i>COMMISSIONER, MID-DAY -MEAL</i>
<i>COMMISSIONER, EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME</i>
<i>DIRECTOR, ELEMENTARY EDUCATION</i>
Commissioner, Colonization
Addl. Commissioner (Investment & NRIs), Bureau of Investment Promotion
Director, Integrated Child Development Scheme, Jaipur
Director, Child Empowerment Department
Director, Tribal Affairs
Addl. Chief Electoral Officer
Director, College Education
Director, Disabilities, Jaipur
Director, Horticulture Department
Commissioner, Local Self Government Department
Additional Director, HCMRIPA
Commissioner, Medical Education and ex-officio Director, Rajasthan Medical Education Society (RAJMES)
Director and ex-officio Joint Secretary to Government, Local Bodies, Rajasthan, Jaipur
Registrar, Board of Revenue
Joint Secretary to Government and ex-officio Director, Environment and Climate Change
Commissioner, Devasthan Department
Special Secretary to Chief Minister
Director, Indira Gandhi Panchayati Raj Sansthan
Commissioner, Tribal Area Development Department, Udaipur
Additional Mission Director, National Health Mission”

[F. No. 11031/02/2021-AIS-II (B)]
BHUPINDER PAL SINGH, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 870 (E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following GSR No. and date-

Sl. No.	GSR No.	Date	Sl. No.	GSR No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016	15.	51 (E)	28.01.2021
2.	1178 (E)	27.12.2016	16.	108 (E)	09.02.2021
3.	1194 (E)	30.12.2016	17.	465 (E)	01.07.2021
4.	575 (E)	12.06.2017	18.	928 (E)	31.12.2021
5.	1382 (E)	10.11.2017	19.	182 (E)	09.03.2022
6.	1429 (E)	17.11.2017	20.	441(E)	10.06.2022
7.	1585 (E)	22.12.2017	21.	619(E)	05.08.2022
8.	566 (E)	15.06.2018	22.	712(E)	20.09.2022
9.	819 (E)	28.08.2018	23.	758(E)	30.09.2022
10.	1124 (E)	16.11.2018	24.	930(E)	30.12.2022

11.	1222 (E)	19.12.2018	25.	98(E)	14.02.2023
12.	218 (E)	13.03.2019	26.	879(E)	06.12.2023
13.	766 (E)	09.10.2019	27	368 (E)	04.07.2024
14.	813 (E)	30.12.2020			